फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश में जनपद फतेहगढ़ का थाना कमालगंज अपने समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा अपने निजी वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाने वाला प्रदेश का प्रथम थाना बना।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रविन्द्र नाथ राय तथा प्रशिक्षणाधीन पुलिस उपाधीक्षक श्री अजय वर्मा के नेतृत्व में थाना कमालगंज पर नियुक्त अधि0-कर्म0 नें अपने निजी वाहनों में जिसमे 10 कार व 45 मोटरसाइकिलों पर 100% HSRP High Security Registration Plate (HSRP) नंबर प्लेट, जिसे भारत सरकार ने वाहनों की सुरक्षा और पहचान को बढ़ाने के लिए लागू किया हैं, लगवाई गयी।

आज दिनॉक 03.01.2025 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ व अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर आमजनमानस को अपने वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगाने हेतु जागरुक किया गया। उत्तर प्रदेश में जनपद फतेहगढ़ का थाना कमालगंज अपने समस्त अधि0/कर्म0 द्वारा अपने वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाने वाला प्रथम थाना बना है।

उल्लेखनीय है कि जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा विगत 05 माह के यातायात अभियान के दौरान HSRP नंबर प्लेट के अन्तर्गत 1,20,65,000/- (एक करोड़ बीस लाख पैसठ हजार) रुपये ऑनलाइन शमन शुल्क के कुल 2413 चालान किये गये।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 03.01.2025

लूट के अभियोग में वांछित शातिर अभियुक्त को थाना मऊदरवाजा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर महोदया **ऐश्वर्या उपाध्याय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-160/24 धारा 309(6),115 (2),109,317(2) बीएनएस व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त त्रिलोकी राजपूत पुत्र चिन्ताराम राजपूत उर्फ हरिकिशन निवासी मोहल्ला अमीन खाँ भाऊटोला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- त्रिलोकी राजपूत पुत्र चिन्ताराम राजपूत उर्फ हरिकिशन निवासी मोहल्ला अमीन खाँ भाऊटोला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 02.08.2024 को वादी श्री राहुल सागर पुत्र अशोक कुमार सागर निवासी पल्ला गल्ला मण्डी जनपद फर्रूखाबाद ने थाना मऊदरवाजा पर तहरीरी सूचना दी थी कि उसके भाई बृजेश कुमार जो ई-रिक्सा चलाता है को दिनांक 01.08.2024 की शाम 9 बजे उसके ई-रिक्सा में सवारी बन कर बैठे अभियुक्तगणो के द्वारा उसका ई-रिक्शा व अन्य प्रपत्र लूटकर उसे घायल कर मरणासन्न हालत में छोड़ कर भागने के

सम्बन्ध में दिया गया था। जिस पर तत्समय ही थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 160/24 धारा-309(6)/115(2)/109 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष मऊदरवाजा के द्वारा सम्पादित की गयी।

विवेचना के क्रम में दिनांक 03.08.2024 को अभियोग से सम्बन्धित अभि0 ईशू पुत्र श्रीकान्त पाण्डेय निवासी मो0 जटवारा थाना कोतवाली फर्रु0 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा दिनांक 04.08.2024 को अभि0 गगन बाल्मीकि पुत्र सुखराम निवासी मो0 तलैया फजल इमाम थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा जिसकी निशादेही पर ई-रिक्शा व उसमें रखे शैक्षिक दस्तावेज, आरसी, आधार कार्ड आदि जिसको अभियुक्तगणों ने लूटने के बाद फेंक दिया था, को बरामद कराया गया तथा दौराने विवेचना अभियोग में SCST Act के बढ़ने से अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी।

क्षेत्राधिकारी नगर के विवेचनात्मक निर्देशन में थानाध्यक्ष मऊदरवाजा के नेतृत्व में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभि0 त्रिलोकी राजपूत पुत्र चिन्ताराम राजपूत उर्फ हरिकिशन निवासी मोहल्ला अमीन खाँ भाऊटोला थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद को दिनांक 03.01.2024 की रात्रि गश्त, तलाश वांछित अपराधी व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। जिसको मा0न्या0 के समक्ष पेश कर अभियोग में अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त त्रिलोकी राजपूत पुत्र चिन्ताराम राजपूत उर्फ हरिकिशन निवासी मोहल्ला अमीन खाँ भाऊटोला थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद ने पूछताछ पर गलती की माँफी मांगते हुये बताया कि साहब मैं अपने दोस्तों ईशु पाण्डे, गगन बाल्मिकि व सचिन मिश्रा की गलत संगत में पड]कर दिनांक 01.08.2024 को मैं इनके साथ चला गया था। बृजेश के साथ गाली गलौज व मारपीट कर उसका ई-रिक्शा हम लोगो ने छीन लिया था। ई-रिक्शा को ईशु पाण्डे व गगन लेकर चले गये थे। साहब इस घटना के सम्बंध में मुझे न कोई पैसा मिला था और न ही मेरे पास मे कोई सामान है। मै अपनी सफाई अपने वकील साहब के माध्यम से मा0न्यायालय मे दूंगा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त त्रिलोकी राजपूत उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 160/24 धारा 309(6),115(2),109,317(2) बीएनएस व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद।

बरामद माल का विवरण:- निल

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री नर सिंह
3. का0 गौरव
4. का0 सुरेश

(मीडिया सेल जनपद फतेहगढ़)

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :- 03.01.2025

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 02/2025 धारा 64 B.N.S में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी अमृतपुर के नेतृत्व मेंअपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 02/2025 धारा 64 B.N.S से सम्बन्धित अभियुक्त करन पुत्र अजय निवासी ग्राम पसई नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. करन पुत्र अजय निवासी ग्राम पसई नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 03.01.2025 को वादी द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र थाना कमालगंज पर अभि0 द्वारा वादी की पुत्री के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। जिसके सम्बन्ध थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 02/2025 धारा 64 B.N.S बनाम करन पुत्र अजय निवासी पसई नगला थाना कमालगंज पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 03.01.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर इमलियाहार तिराहे से अभियुक्त करन पुत्र अजय निवासी पसई नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त करन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास :-

1.मु0अ0सं0 436/2023 धारा 380/457/506 भादवि थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 02/2025 धारा 64 B.N.S थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त करन सिंह उपरोक्त ने पूछने पर जुर्म से माफी माँगते हुए अपनी सफाई अपने वकील साहब के माध्यम से मा0न्यायालय मे देना बताया ।

बरामदगी का विवरण :- निल ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अनुराग मिश्र
2. का0 अखिलेश जादौन

(मीडिया सेल जनपद फतेहगढ़)

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना कादरीगेट

दिनांक- 03.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मोनू कटियार पुत्र दुलारे कटियार निवासी भोपतपट्टी थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0- 93/2024 वाद स0- 4868/2024 धारा- 379,411 भा0द0वि0 थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 03.01.2025 को मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को जुर्म स्वीकार के आधार पर 09 माह का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।**

पीओ- श्री चन्द्रेश कुमार

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 कुन्दन कुमार

पैरोकार का0 कुलदीप पाल